न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4529–तीन/2013 विरूद्व आदेश दिनांक 07–12–2012 पारित व्दारा – बंदोबस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 2/1997–98 निगरानी

1– दादूराम पुत्र चुनका लोध
2– रमेश पुत्र दादूराम लोध
ग्राम भदैया मजरा रमनापुरवा
तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना ———आवेदकगण

विरूद्व

1– रामकृपाल पुत्र रघुवीर प्रसाद लोध
2– उजेन्द्र पुत्र सुखलाल लोध
3– सुमेरची, सरपंच ग्राम पंचायत भदैया
ग्राम भदैया मजरा रमनापुरवा तहसील
अजयगढ़ जिला पन्ना
3–मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 16 – 10–2015 को पारित)

बंदोबस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 2/1997–98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 07–12–2012 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम भदैया मजरा रमनापुरवा की भूमि खसरा कमांक 59, 63, 65, 74 जिसके बंदोवस्त के दौरान नवीन सर्वे नंबर 589, 590, 666 निर्मित किये गये, के आवेदकगण भूमिस्वामी हैं। बंदोवस्त के दौरान इन्हीं सर्वे नंबरों

में से खेतों पर जाने के लिये रास्ता कायम हुआ। आवेदक दादूराम ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी पन्ना–1 को प्रार्थना पत्र देकर नक्शा से रास्ता विलोपित करने का निवेदन करने पर प्रकरण कमांक 50 अ 6 अ/1992–93 दर्ज किया गया तथा आदेश दिनांक 20–5–1993 से नक्शा सुधार का आदेश दिया गया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक क. एक से तीन ने बंदोवस्त अधिकारी सह् कलेक्टर जिला पन्ना को अपील कमांक 98/अ–6–अ/1996–97 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 11.8.97 से प्रकरण तहसीलदार अजयगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रत्यथी का कुआं व विवादित आराजी खसरा नंबर 590 रकबा 0.93 है. में रास्ते की त्रृटि का पुनः परीक्षण कर सुधारा जाय एंव ख.नं. 580 रकबा 0.93 यथावत् रखा जाय। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष निगरानी कमांक 2/1997–98 प्रस्तुत की। निगरानी प्रस्तुत होने के दिनांक 9–10–97 से प्रकरण में सुनवाई हेतु 7–12–12 की अवधि के बीच 103 पेशियॉ लगीं , किन्तु पक्षकारों व्दारा प्रकरण में अंतिम बहस नहीं की गई। पेशी 9.8.12, 7.9.12, 5.10.12 , 2.11.12 पर उभय पक्ष में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, तब बंदोबस्त आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 7–12–12 से निर्णय लिया कि न्यायालय में दिनांक 9–10–97 को प्रकरण दर्ज होने से आवेदक अथवा उनके अभिभाषक दिनांक 5–7–12 के वाद उपस्थित नहीं हुये है जिससे प्रकरण के प्रचलन में अपीलार्थी की कोई रूचि नहीं है और वह अपील में कोई बल नहीं दे रहे हैं । ऐसी स्थिति में यह अपील अपीलार्थी के व्दारा कोई बल न देने के कारण not press में समाप्त की जाती है। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के निगरानी कमांक 2/1997–98 के अवलोकन के साथ सहायक बंदोवस्त अधिकारी पन्ना–1 के प्रकरण कमांक 50 अ 6 अ/1992–93 में पारित आदेश दिनांक 20–5–1993 की प्रस्तुत की गई छायाप्रति एंव बंदोवस्त अधिकारी सह् कलेक्टर जिला पन्ना के अपील कमांक 98/अ–6–अ/1996–97 में पारित आदेश दिनांक 11.8.97 की छायाप्रति का अवलोकन

किया गया। यह सही है कि बंदोवस्त आयुक्त ने आदेश दिनांक 7–12–2012 से प्रकरण आवेदकगण के एंव अनावेदकगण के अभिभाषक की अनुपस्थित के कारण प्रकरण में आगे चलाने की रूचि न होने से समाप्त कर दिया है किन्तु बंदोवस्त अधिकारी सह् कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा अपील कमांक 98/अ–6–अ/1996–97 में पारित आदेश दिनांक 11.8.97 से प्रकरण तहसीलदार अजयगढ़ को कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया है एंव तहसीलदार अजयगढ़ के समक्ष उभय पक्ष को अपना–अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में किसी पक्ष विशेष के हित में निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है और इन्हीं कारणों से बंदोवस्त आयुक्त के आदेश दिनांक 7–12–2012 में भी हस्तक्षेप करना मुनासिव नहीं समझता।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा निगरानी कमांक 2/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 7–12–2012 स्थिर रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर